HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **राठ** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 624/2022 धारा-376(3) भा0द0सं0 व 6 पॉक्सो एक्ट** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय **विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **चन्द्रभान पुत्र गनेशीलाल** निवासी मु0 अतरौलिया, कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को धारा- 4(2) पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए **20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये** के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।

	अभियोजक– एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह		विवेचक- उ0नि0 पंधारी सरोज		पैरोकार थाना- राठ का0 सर्वज्ञ